भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1600**

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

**एनसीएपी का कार्यान्वयन**

1600. श्री विवेक ठाकुर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (एनसीएपी) के कार्यान्वयन के पश्चात् वाहन-दुर्घटनाओं की संख्या में कमी पाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) भारत एनसीएपी के अंतर्गत संरचनात्मक सुरक्षा और स्वचालित तथा प्रचालनीय सुरक्षा-सहायता प्रौद्योगिकियों के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 27 सितंबर, 2023 को का.आ. 698 (अ) के माध्यम से भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी) को अधिसूचित किया है, ताकि 3500 किलोग्राम से कम या उसके बराबर सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) वाले एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए स्टार रेटिंग के संदर्भ में दुर्घटना सुरक्षा निष्पादन का मूल्यांकन किया जा सके। बीएनसीएपी रेटिंग, उपभोक्ताओं को मोटर वाहन (ऑटोमोटिव) उद्योग मानक (एआईएस)-197 में निर्धारित आवश्यकताओं के आधार पर वयस्क यात्रियों की संरक्षा (एओपी), बाल यात्रियों की संरक्षा (सीओपी) और सुरक्षा सहायता प्रौद्योगिकी (एसएटी) के क्षेत्रों में वाहन का मूल्यांकन करके यात्रियों को दी जाने वाली संरक्षा के स्तर की सूचना प्रदान करेगी। यह कार्यक्रम वाहनों के आकलन और एक सुविज्ञ निर्णय लेने के संबंध में अंतिम उपभोक्ताओं की मदद करता है।

(ख) ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) -197 में संरचनात्मक सुरक्षा, स्वचालित तथा प्रचालनीय सुरक्षा-सहायता प्रौद्योगिकियों, स्टार रेटिंग और दंड संबंधी विस्तृत मानदंड उल्लिखित है।

*****